

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

=====

क्रमांक:-प. 181/कार्मिक/निजी. चिकित्सालय/पार्ट-3/2003/ 2097 दिनांक: 28/10/03

कार्यालय आदेश

=====

राजस्थान आवासन बोर्ड चिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए साकेत हॉस्पिटल, सेक्टर-10, मीरामार्ग, अणुवाल फार्म, मान सरोवर जयपुर को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है।

विशेष शर्तें :-

1. हॉस्पिटल में आन्तरिक रोगी के रूप में भर्ती होने पर कुल देय राशि में 10% प्रतिशत की छूट देय होगी ।
2. ~~अ~~ अग्रह्य रोगी (ओपेडी) की जाँच पर 20 प्रतिशत की छूट देय होगी ।
3. इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें जो मण्डल द्वारा अन्य निजी चिकित्सालयों पर लागू हैं, इन पर लागू होगी ।

उपरोक्त आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है । तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है ।

  
साचिव

प्रतिनामि निम्न को तूयनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख निजी जायप-अध्यक्ष/निजी साचिव-आवासन आयुक्त/मु. आ. मं., रा. आ. मं., जयपुर
2. वरिष्ठ निजी सहायक-साचिव/वि. स. एवं मु. मे. अ., रा. आ. मं., जयपुर
3. उप आवासन आयुक्त वृत्त-
4. आवासीय अभियंता, खण्ड-
5. लेखाधिकारी, वित्त/भुगतान, रा. आ. मं., जयपुर
6. सहायक अधिकारी/समस्त प्रकोष्ठ/मु. अ.
7. निदेशक, साकेत हॉस्पिटल सेक्टर 10, मीरामार्ग, अणुवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर
8. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली

  
उपसाचिव